


168

अनुसूची में पूर्ण-अवधि की  
के अन्तर्गत एक जोड़ा भेजे जाने  
के लिए अनुसूचित अनुसूचि-पत्र  
क्र. भोपाल-505/ उच्च, पी.

पंजी क्रमांक भोपाल दिनांक  
122 (एच. पी.)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 811]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 1994—भाषिवन 1, शके 1916

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1994

क्र. एफ. 14-85-94-दस-2.—वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) (क्रमांक 53, वर्ष 1972), वन्यप्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 44, वर्ष 1991) द्वारा संशोधित, द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश, राज्य शासन, निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को ओरछा अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की मंशा जाहिर करती है:—

अनुसूची

जिला	:	टीकमगढ़	
वन मंडल का नाम	:	टीकमगढ़	
अभ्यारण्य का नाम	:	ओरछा अभ्यारण्य	
तहसील	:	निवाड़ी	
वन परिक्षेत्र	:	ओरछा	
कुल क्षेत्रफल	:	4491.448 हेक्टर या	44.9 वर्ग किमी.
आरक्षित वन	:	4365.537 हेक्टर या	43.6 वर्ग किमी.
संरक्षित वन	:	निरंक	निरंक
सम्मिलित ग्राम	:	राजसव ग्राम—लोटना 82.376 हेक्टर वन ग्राम—सिंगपुरा 43.535 हेक्टर	

## सीमायें

उत्तर	:	बेतवा नदी
पूर्व	:	जामनी नदी
दक्षिण	:	कक्ष क्र. 162 आर. एफ. की बाहरी सीमा लाइन
पश्चिम	:	बेतवा नदी.

No. F.14-85-94-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 18(1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), as amended by Wild Life (Protection) Amendment Act, 1991 (No. 44 of 1991), The Madhya Pradesh Government hereby declare its intention to form the area specified in Schedule below as "ORCHHA WILD LIFE SANCTUARY" under the Act:—

## SCHEDULE

District	:	Tikamgarh
Name of Forest Division	:	Tikamgarh
Name of Sanctuary	:	Orchha Wildlife Sanctuary
Tahsil	:	Niwari
Range	:	Orchha
Total Area	:	4491.448 Hect. or 44.9 Sq. Km.
R. F.	:	4365.537 Hect. or 43.6 Sq. Km.
P. F.	:	Nil
Included Villages	:	Revenue Village-LOTNA Area 82.376 Hect. Forest Village-SINGHPURA Area 43.535 Hect.

## BOUNDARIES

North	:	Betwa River
East	:	Jamni River
South	:	Outer boundary of Comptt. No. 162 RF.
West	:	Betwa River.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. शुक्ला, अपर सचिव.